प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 385 सन 2022
अनवान :–

1. महावीर पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं

वादीगण

बनाम

1. आत्माराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/39 के खसरा न0 1262/2 की 4.1045हैक्‍ भूमि जिसमें वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 चारो एक ही परिवार के सदस्य है आपस में भाई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वाद भूमि व अन्य भूमियों का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे राजस्व रिकार्ड मे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए परिवारिक समझौता जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 चारो एक ही परिवार के सदस्य है आपस में भाई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वाद भूमि व अन्य भूमियो की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का वाहमी वटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया था वाद भूमि वाहमी वटवारा के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/39 के खसरा न0 1262/2 की 4.1045हैक्ट भूमि जिसमें वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनो वहिव के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से वतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 चारो एक ही परिवार के सदस्य है आपस में भाई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वाद भूमि व अन्य भूमियों का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का वाहमी बटवारा किया गया जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे राजस्व रिकार्ड मे वाहमी वटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/39 के खसरा न0 1262/2 की 4.1045हैक्ट भूमि जिसमें वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 चारो एक ही परिवार के सदस्य है आपस में भाई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वाद भूमि व अन्य भूमियो की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का वाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया था वाद भूमि बाहमी बटवारा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्ररतुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/39 के खसरा न0 1262/2 की 4.1045हैक्ट भूमि में से 2.8395हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 एवं 1.265हैक्ट भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक २7/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट............ललानपुरा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं

वादीगण

बनाम

1 आत्माराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 साहबराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 385 सन 2022 निर्णय दिनांक– 27/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/39 के खसरा न0 1262/2 की 4.1045हैक भूमि में से 2.8395हैक भूमि का वादी संख्या 1 एवं 1.265हैक भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट...........

उपखण्ड अधिकारी
नोहर